रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2015/ज्येष्ठ 28, 1937
No. 1276] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2015/JYAISTHA 28, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2015

[संख्या 47/2015]

का.आ. 1634(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनों हेतु पंजाब सरकार द्वारा गठित निकाय पंजाब राज्य एड्स नियंत्रण समिति को उसे होनेवाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामत:-

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि; तथा संख्या

(ख) भारत सरकार से सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2015–16 के संबंध में लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी अर्थात यह कि पंजाब राज्य एड्स नियंत्रण समिति:-

(क) किसी भी वाणिज्यक गतिविधि में संलिप्त नहीं होती है;

(ख) इनकी गतिविधियों और इनकी विनिर्दिष्ट आय में पूरे वित्त वर्ष (वर्षों) के दौरान कोई परिवर्तन न हो; तथा

(ग) यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती हो।

[फा. सं. 196/82/2012-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक